न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 168/2020

GCMS NO. : 2020/00314

–:: प्रार्थीगण ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. मनोजकुमार पुत्र दशरथकुमार 2. रेखा पुत्री दशरथकुमार जातियान–साद(वैष्णव) निवासीगण– खराड़ी तहसील– जैतारण, जिला– पाली।		1. दशरथकुमार पुत्र तुलसीदास 2. चुकादेवी पत्नी दशरथकुमार जातियान–साद(वैष्णव) निवासीगण– खराड़ी तहसील– जैतारण, जिला– पाली। 3. तहसीलदार, एवं उपपंजीयन अधिकारी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजूः 04/02/2020**

उपस्थितः. 1. श्री किशोर कुमार बिरोल, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 31/03/2021**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायलान् एवं गैरसायलान् संख्या 1 व 2 की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त शामलाती हिन्दू मुस्तर्का खानदान की एवं कब्जे काश्त की कृषि काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा खराड़ी पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण जैतारण जिला पाली राज0 मे खसरा नम्बर 592 रकबा 17 बीघा की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी सायलान् एवं गैरसायलान् संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी सम्पति है। जिसकी नकल जमाबन्दी प्रार्थनापत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जाये। उपरोक्त वर्णित आराजी को आगे प्रार्थनापत्र मे वादग्रस्त सम्पति के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। उपरोक्त वादग्रस्त सम्पति जो कि सायलान् के दादा तुलसीदास के नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज था उनके फौत होने के पश्चात उनके वारिसान लालदास, दशरथकुमार व ओप्रकाश के नाम जरिये फौतेदगी म्युटेशन के राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज हुई और वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे उक्त वादग्रस्त सम्पति गैरसायलान् संख्या 1 के नाम दर्ज है अर्थात वादग्रस्त सम्पति गैरसायलान् संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पति नही होकर पैतृक पुश्तैनी सम्पति है जो उन्हें उनके पिता से जरिये फौतेदगी म्युटेशन के प्राप्त हुई है। वादग्रस्त सम्पति मे सायलान् भी बराबर हक [illegible] निहित है क्योकि सायलान् स्वर्गीय तुलसीदास के पौत्र व पौत्री होकर उत्तराधिकारी एवं वारिसान [illegible] जो निम्न वंश वृक्षावली से स्पष्ट है। वंश वशावली के अनुसार गैरसायलान् संख्या 01 एवं सायलान स्वयं तुलसीदास के उत्तराधिकारी है और वादग्रस्त सम्पति में सायलान एवं गैरसायलान संख्या 01 व 02 का संयुक्त शामलाती 1/3 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निहित है। गैरसायलान संख्या 1 को वादग्रस्त सम्पति तुलसीदास जी के फौत होनें के पश्चात उनका 1/3 वे हिस्से में राजस्व रेकर्ड मे नाम इन्द्राज हुआ परन्तु गैरसायलान् संख्या 1 को वादग्रस्त सम्पति जो कि पैतृक पुश्तैनी संयुक्त सामलाती एवं हिन्दू मुस्तर्का खानदान की सम्पति होने से केवल मात्र उपयोग उपभोग करने का अधिकार है क्योकि सायलान् का उक्त सम्पति मे हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत बाई बर्थ अर्थात जन्मतः हक व अधिकार है। वादग्रस्त सम्पति जो कि स्वर्गीय तुलसीदास जी के फौत होने के पश्चात उनके वारिसान के नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज हुई और गैरसायलान् संख्या 1 का नाम 1/3 हिस्से के रूप मे राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे जरिये फौतेदगी म्युटेशन के इन्द्राज किया गया परन्तु गैरसायलान् संख्या 1 को उक्त सम्पति को किसी अन्य को रहन बेचान बक्सीस व अन्य हस्तान्तरण करने का कोई कानूनन हक व अधिकार नही होते हुए भी गैरसायलान् संख्या 1 ने वादग्रस्त सम्पति के 1/3 वे हिस्से को किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण बक्सीस आदि करने पर आमादा है जबकि वादग्रस्त सम्पति मे गैरसायलान् संख्या 1 का ही हक अधिकार नही है क्योकि वादग्रस्त सम्पति गैरसायलान् संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पति नही होकर के पैतृक पुश्तैनी है। जिसमे गैरसायलान् संख्या 1 के साथ सायलान् एवं गैरसायलान् संख्या 2 का कानूनन बराबर बराबर हक अधिकार है। गैरसायलान् संख्या 1 वादग्रस्त सम्पति का केवल उपयोग उपभोग कर सकता, परन्तु उसे हस्तान्तरण करने का कोई अधिकार न होते हुए भी गैरसायलान् संख्या 1 ने सायलान् को उनके जायज हक व अधिकारो से वंचित रखने की नियत से यह जानते हुए कि वादग्रस्त सम्पति पैतृक पुश्तैनी सम्पति है जिसका कानून बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा नही हो रखा है, परन्तु [illegible] सायलान् की बिना अनुमति व सहमति के एवं परिवार मे बिना किसी जायज जरूरत के सायलान् को उनके साम्पतिक हक अधिकारो से वंचित रखने की नियत से वादग्रस्त सम्पति को बेचान हस्तान्तरण करने पर आमादा है। जबकि वादग्रस्त सम्पति मे गैरसावलान् संख्या 1 के साथ सायलान् का भी बराबर बराबर हक अधिकार है पूर्व में भी गैरसायलान संख्या 1 ने पैतृक पुश्तैनी सम्पति का बेचान कर दिया और अब गैरसायलान संख्या 1 वादग्रस्त सम्पति को भी किसी अन्य को रहन बेचान बक्सीस करने पर आमादा है जबकि वादग्रस्त सम्पति में सायलान का जन्मतः हक अधिकार होने से सायलान् अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के लिये यह प्रार्थनापत्र दाबत् अस्थाई निण्याचा व वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलानु के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। उपरोक्त वादग्रस्त सम्पति जो सायलान् की पैतृक पुश्तैनी सम्पति है जो धारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत सायलान के जन्म से हक व अधिकार निहित है परन्तु गैरसायलान् संख्या 1 का मात्र राजस्व रेकर्ड मे नाम दर्ज हो जाने मात्र से सायलान् को उनकी पैतृक पुश्तैनी सम्पति से वंचित करने की नियत से सायलान

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:26 IST
Reason: SelfAttested

की बिना सहमति द अनुमति के बेचान हस्तान्तरण करने करने पर आमादा है जबकि गैरसायलान् संख्या 1 को ऐसा गैरकानूनी कृत्य करने का कोई कानूनन हक व अधिकार नही होते हुए भी गैरसायलान संख्या 1 ने जानबुझकर सायलान् को उनके जायज हक व अधिकारी से महरूम करने की नियत से एवं उनके उनकी पैतृक पुश्तैनी सम्पति से बेदखल करने की नियत से किसी अन्य अजनबी केता को दादग्रस्त सम्पति का देचान करने पर आमादा है जबकि मौके पर सायलान् का उनके हक हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है एवं वादग्रस्त सम्पति सायलान् की पैतृक पुश्तैनी सम्पति है और सायलान् को उनकी पैतृक पुश्तैनी सम्पति से वंचित करने एवं जबरन बेदखल करने की नियत से गैरसायलान् संख्या 1 ने सायलान् ऐलानिया धमकी दी कि वह वादग्रस्त सम्पति किसी अन्य को बेचान करके उन्हे मौके से बेदखल कर देगा यदि गैरसायलान् संख्या 1 ऐसा कोई गैरकानूनी कृत्य करता है तो सायलान् अपने जायज हक अधिकारो से हमेशा के लिये महरूम हो जायेगे। इसलिए सायलान के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र वावत् अस्थाई निषेधाज्ञा व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान् के सादर पेश है। दिनांक 19/10/2020 को गैरसायलान् संख्या 1 उपरोक्त वर्णित आराजी मे मौके पर जाकर सायलान को मौके से बेदखल करने एवं बैचान हस्तान्तरण करने की धमकी दी तब सायलान् ने गैरसायलान् संख्या 1 से निवेदन किया कि वादग्रस्त सम्पति पैतृक पुश्तैनी सम्पति है और सायलान् का भी हक अधिकार है तब गैरसायलान् संख्या 1 ने कहा कि उसने पूर्व में भी आधी जमीन को बेचान कर दी तब सायलान् ने राजस्व रेकर्ड की नकलें ली तब उन्हे जानकारी हुई कि उनके हक अधिकारो की सम्पति पूर्व मे भी बेचान हो चुकी है और अब गैरसायलान् संख्या 1 वादग्रस्त सम्पति को भी बेचान करने पर आमादा है और यदि गैरसायलान् संख्या 1 अपने गैरकानूनी मंसुबो मे कामयाब हो जाता है तो सायलान् अपने जायज सम्पति हक अधिकारों से महरूम हो जायेगे एवं उन्हे भारी अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भी किसी कदर संभव नही है इसलिए सायलान् के पास कोई विकल्प शेष नही रहने से अपने हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अपना नाम इन्द्राज करवाने बाबत् यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान् के पेश है। समस्त तथ्यो, परिस्थितियों एवं दस्तावेजात तथा मौके पर सायलान् के कब्जे काश्त एवं पैतृक पुश्तैनी सम्पति होने से उक्त सम्पति मे उनका कानूनन हक अधिकार होने से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन सायलान् के पक्ष मे बखुबी साबित है और यदि गैरसायल संख्या 1 मात्र राजस्व रेकर्ड नाम इन्द्राज होने के आधार पर सायलान् की पैतृक पुश्तैनी सम्पति को किसी अन्य को रहन बेचान बक्सीस अन्य हस्तान्तरण कर देता है एवं सायलान् को मौके से बेदखल कर देता है तो सायलान् को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही है एवं सायलान् अपने पैतृक पुश्तैनी हक अधिकारो से हमेशा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

हमेशा के लिये महरूम हो जायेगे। इसलिए गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो को रोके जाने बाबत् यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 मे वर्णित आराजी सरहद मौजा खराडी पटवारी हल्का डिगरना में स्थित खसरा नम्बर 592 रकबा 17 बीघा मे सायलान् अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काश्त मुतालिक तमाम कार्य करे या करावे तो उसमें गैरसायलान् उनके नोकर चाकर हाली एजेन्ट एवं रिश्तेदार आदि किसी प्रकार से कोई दखलन्दाजी रोकटोक व्यवधान अडचन बाधा पैद नही करे तथा गैरसायल संख्या 1 उपरोक्त वर्णित आराजी को किस अन्य को रहन बेचान बक्सीस अन्य हस्तान्तरण नही करे तथा वर्तमा राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक यथावत् रखने हेतू पाबन्द फरमा प्रार्थनापत्र की रूह से अन्य कोई सहायता तो सायलान् को दिल जावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मनस्/सूचना तामिली के अनुपस्थित रहनें से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यावाही की गई। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनते हुए उस पर मनन किया। प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है:-

1. प्रथम दृष्टया मामला :- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वादगस्त आराजी में पैतृक पुश्तैनी आधार पर जन्म से प्राप्त अधिकार निहित होनें के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वाद प्रस्तुत किया जो न्यायालय हाजा में जैरकार है। चुंकि वादीगण प्रतिवादी दशरथ कुमार की संतान है, अतः प्रकरण में प्रथम दृष्टयां मामला वादीगण/प्रार्थीगण के पक्ष में निहित होना पाया जाता है।

2. सुविधा का सतुंलन :- चुंकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निहित होना साबित हुआ है तथा प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त पैतृक पुश्तैनी आराजी में जन्म से निहित अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु दावा प्रस्तुत किया है। अतः सुविधा का सतुंलन वादीगण/प्रार्थीगण के पक्ष में निहित होना पाया जाता है।

3. अपूर्णनीय क्षति :- चुंकि उपर्युक्त दोनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुये है साथ ही भू-अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में से पूर्व में पंजीकृत बैचान दिनांक 10.09.2018 द्वारा 08-17 बीघा भूमि का बैचान किया है जिसका खसरा संख्या 558 है। इस

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं किया जाता है तो यह पूर्ण आशंका है कि अप्रार्थीगण द्वारा भविष्य में भी वादग्रस्त आराजी का हस्तान्तरण किया जा सकता है तथा ऐसे होनें पर वाद में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होगी एवं विलम्ब होगा। जिससे प्रत्यक्ष प्रार्थीगण प्रभावित होगें। अतः यह स्पष्ट है कि यदि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कि जाती है तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद बैचान, हस्तान्तरण न करनें हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से निरूद्ध किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा खराड़ी पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण जैतारण जिला पाली राज0 के खसरा नम्बर 592 रकबा 17 बीघा का रहन, बैचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू-अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 31/03/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:26 IST
Reason: SelfAttested